ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2004

क्र. 2493-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 166 की उपधारा (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य समन्वय फोरम का गठन करती है जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:—

(ii) राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्यगण

(iii) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(iv) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(v) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(vi) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(vii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक.

(viii) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग के एक प्रतिनिधि

(ix) मध्यप्रदेश विद्युत भार प्रेषण केन्द्र के एक प्रतिनिधि

2. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राज्य समन्वय फोरम के अध्यक्ष होंगे.

3. फोरम के अध्यक्ष द्वारा नामांकित राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य फोरम के सदस्य संयोजक होंगे.

4. समन्वय फोरम की बैठकें प्रत्येक (माह में एक बार अध्यक्ष समन्वय फोरम द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएंगी.

5. फोरम के सदस्यों द्वारा फोरम की बैठकों के आयोजन व संचालन के नियमों का निर्धारण किया जाएगा